सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-1/2020/629/29-4-2020-5(5)/17

प्रेषक,

अखण्ड प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, उत्तर प्रदेश।
6. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, 22 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0, 17, गोखले मार्ग, लखनऊ।
9. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 को-ऑपरेटिव यूनियन लि0, (पी0सी0यू0), लखनऊ
11. शाखा प्रबन्धक, एन0सी0सी0एफ0, लखनऊ।
12. शाखा प्रबन्धक, नैफेड, अलीगंज, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनॉक 31 जुलाई, 2020

विषय:-खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु समय-सारिणी।

महोदय,

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद दिनांक 01 अक्टूबर, 2020 से प्रस्तावित है। प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से धान की खरीद हेतु संलग्न समय-सारिणी इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि नियत तिथियों के अनुसार प्रत्येक जनपद में धान खरीद हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाये और गत वर्ष के अनुभवों के आधार पर धान क्रय केन्द्रों का चयन 30 अगस्त, 2020 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधायें आदि धान क्रय हेतु समस्त पूर्व व्यवस्थायें पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में दिनॉक 15 सितम्बर, 2020 तक तथा पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक अवश्य पूर्ण करा ली जायें।

3- आगामी सत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य उपलब्ध कराने, मूल्य समर्थन योजना का लाभ किसानों तक पहुँचाने तथा बिचौलियों के माध्यम से धान की खरीद को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें तथा बिचौलियों से सॉठ-गॉठ करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पूर्व ही चिन्हित कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4- चावल मिलों की कुटाई क्षमता एवं विगत वर्षों में मिल द्वारा किये गये कुटाई कार्य का समुचित ऑकलन करते हुए खरीदे जाने वाले धान की कुटाई हेतु सम्बद्धीकरण की कार्य-योजना पश्चिमी उ0प्र0 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

जनपदों में दिनाँक 15 सितम्बर, 2020 तक तथा पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण कर ली जाये।

5- यदि किसी सम्भाग में स्थित मिलों की कुटाई क्षमता से अधिक धान खरीद अनुमानित है तथा सम्भाग के बाहर कुटाई किया जाना प्रस्तावित है तो वह इस सम्बन्ध में खाद्यायुक्त को प्रस्ताव प्रेषित कर पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे तथा समीपस्थ सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक से समन्वय कर धान की कुटाई के लिए समुचित प्रबन्ध एवं कार्य-योजना बनायेंगे।

6- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों के हित के लिए धान खरीद योजना का लाभ इस पर निर्भर है कि कृषकों से क्रय किये गये धान का भुगतान उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाये, कृषकों को त्वरित मूल्य भुगतान हेतु क्रय संस्थाओं को अग्रिम धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। तथापि स्थानीय स्तर पर तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने पर बल दिया जाये तथा मूल्य भुगतान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए मूल्य भुगतान की नियमित समीक्षा की जाये।

7- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खोले जाने वाले क्रय केन्द्रों का स्थल निर्धारण, क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं की व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध समय-सारिणी के अनुसार सुनिश्चित कर लिये जायें।

8- ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटॉप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करते हुए दिनांक 05 अगस्त, 2020 तक उपलब्धता सुनिश्चित की जाय एवं ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग पंश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 20 सितम्बर, 2020 तक तथा पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 तक आवश्यक पूर्ण कर ली जाय।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपुर्यक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:-1/2020/ 629 (1)/29-4-2020, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (अनुश्रवण हेतु)।
6- निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ।
8- तकनीकी सहायक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9- खाद्य तथा रसद अनुभाग-3/5

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-1 /2020/ 629/29-4-2020-5(5)/17, दिनाँक 31 जुलाई, 2020 का संलग्नक

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय वर्ष 2020-21 में खरीद की व्यवस्था सम्बन्धी समय-सारिणी।

क्र0	अपेक्षित कार्य	अनुमानित अवधि\ कार्य समाप्ति की तिथि	अधिकारी/विभाग जिसे कार्यवाही करनी है।
1	2	3	4
1	प्रभारी अधिकारी, धान खरीद की नियुक्ति	15 जुलाई 2020 तक	जिलाधिकारी
2	पंजीयन व क्रय का प्रचार-प्रसार (क) समाचार-पत्रों/रेडियो/ टेलीविजन। (ख) उपयुक्त स्थानों, मण्डी यार्डों आदि में फ्लैक्सी बैनर आदि का प्रदर्शन।	15 जुलाई से सतत्	मण्डी/सूचना विभाग
3	**किसानों का नवीन पंजीयन/पूर्व पंजीयन का नवीनीकरण-** (खाता नं0 अंकित खतौनी/पहचान प्रमाण-पत्र आधार कार्ड एवं खसरा के आधार पर) कृषक द्वारा जमीन में अपना हिस्सा तथा उसमें बोये धान की घोषणा की जायेगी। कृषक द्वारा स्वयं/जनसूचना केन्द्र, इन्टरनेट कैफे के द्वारा	15 जुलाई से	सम्बंधित किसानों द्वारा तथा उक्त कार्य का अनुश्रवण जिलाधिकारी/ जि0खा0वि0अ0 द्वारा
4	धान उत्पादन का सर्वेक्षण व आंकलन	15 अगस्त, 2020 तक	कृषि विभाग/ जिलाधिकारी
5	मण्डी यार्ड जहाँ व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न खरीद व बिक्री का कारोबार नहीं स्थानान्तरित किया गया है, को स्थानान्तरित कराना।	30 अगस्त, 2020 तक	निदेशक, मण्डी परिषद व जिलाधिकारी
6	तहसीलों में किसानों का सत्यापन (कृषक की भूमि एवं धान के बोये गये रकबे का सत्यापन), राजस्व मॉड्यूल	15 जुलाई 2020 से	संबंधित उपजिलाधिकारी
7	**ई-उपार्जन से सम्बन्धित माड्यूल-** किसान के गाटा संख्या का राजस्व विभाग की भू-लेख संबंधी वेबसाइट से लिंकेज क्रय केन्द्र/मिलर/बैंक/निरीक्षण माड्यूल को तैयार करना/विभागीय पोर्टल पर टेस्ट रन	31 जुलाई, 2020 तक	एन0आई0सी0/ खाद्य विभाग
8	डिपो मॉड्यूल	15 अगस्त, 2020 तक	भा०खा०नि०/ एन0आई0सी0/ मुख्यालय
9	मिलों का पंजीयन	30 जुलाई, 2020 तक	जिला खाद्य विपणन अधिकारी
10	क्रय संस्थाओं द्वारा क्रय केन्द्रों के प्रस्ताव का प्रेषण	01 अगस्त से 15 अगस्त, 2020 तक	समस्त क्रय एजेन्सी
11	क्रय केन्द्रों का चयन/स्वीकृति	15 अगस्त से 30 अगस्त, 2020 तक	जिलाधिकारी
12	भा0खा0नि0 द्वारा एस0एल0सी0 द्वारा निर्धारित एस0ओ0आर0 की दरें जिलाधिकारी को संसूचित करना	10 जुलाई, 2020 तक	भा0खा0नि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	परिवहन कार्य हेतु एस0एल0सी0 द्वारा निर्गत एस0ओ0आर0 के आधार पर ई टेण्डरिंग के माध्यम से परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति हेतु टेण्डर प्रकाशित करना	15 अगस्त, 2020 तक	क्रय एजेन्सी
14	परिवहन हेतु ई टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त दरों का अनुमोदन प्राप्त कर परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति	15 सितम्बर, 2020 तक	एस0एल0सी0 एवं संबंधित क्रय एजेन्सी
15	हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति	15 सितम्बर, 2020 तक	सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा
16	ई-उपार्जन हेतु क्रय केन्द्रों पर कम्प्यूटर/लैपटाप/आई पैड, इन्टरनेट व अन्य आवश्यक उपकरणों के संचालन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण एवं उपलब्धता	05 अगस्त , 2020 तक	संबंधित क्रय एजेन्सी
17	<u>**क्रय केन्द्रों पर व्यवस्थायें**</u> (क्रय एजेन्सी द्वारा)- • धन का आंकलन व उपलब्धता • बोरे की उपलब्धता एवं सत्यापन (क) नये बोरों की उपलब्धता (ख) उपयोगी बोरों की उपलब्धता • स्टाफ की तैनाती	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2020 तक	सं0खा0 नि0/भा0खा0 नि0/ संबंधित क्रय एजेन्सी
18	<u>**क्रय केन्द्रों की व्यवस्थायें**</u> <u>**(मण्डी द्वारा)-**</u> • कृषकों की सुख-सुविधा की व्यवस्था • इलेक्ट्रानिक कांटा, छन्ना, नमी मापक यंत्र आदि की व्यवस्था (पावर ड्रायर डस्टर/ जनरेटर) बैनर की व्यवस्था, प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण-	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2020 तक	मण्डी समिति/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/क्रय एजेन्सी
19	चावल मिलों से अनुबन्ध निष्पादन/ बैंक गारण्टी इत्यादि	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2020 तक	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक/संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा नामित अधिकारी
20	जनपद हेतु निर्धारित क्रय लक्ष्य के अनुसार सी0एम0आर0 भण्डारण का डिपोवार भण्डारण प्लान	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2020 तक	सं0खा0नि0/ भारतीय खाद्य निगम
21	इलेक्ट्रानिक कांटों का मुद्रांकन एवं मरम्मत	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 15 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 15 अक्टूबर, 2020 तक	संबंधित क्रय एजेन्सी द्वारा बॉट माप विभाग के सौजन्य से
22	ई-उपार्जन हेतु मास्टर डेटा में आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 20 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में	क्रय एजेन्सी के जिला स्तरीय व मण्डल स्तरीय अधिकारी

http://shasanadesh.up.gov.in

		20 अक्टूबर, 2020 तक	
23	मण्डी यार्डों में क्रय केन्द्रों हेतु चबूतरों का आवंटन	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 20 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 20 अक्टूबर, 2020 तक	मण्डी समिति/ जिलाधिकारी
24	मण्डी समिति द्वारा प्रभावी नीलामी हेतु नीलामी, मण्डीयार्डवार नीलामी कर्ता का नामांकन	• पश्चिमी उ0प्र0 के जनपदों में 25 सितम्बर, 2020 तक • पूर्वी उ0प्र0 के जनपदों में 25 अक्टूबर, 2020 तक	मण्डी समिति/ जिलाधिकारी
25	क्रय केन्द्र प्रभारियों की धान क्रय आदि से सम्बन्धित ट्रेनिंग/कार्यशाला	(I) 20 सितम्बर से 25 सितम्बर, 2020 तक (पश्चिमी उ0प्र0) (II) 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, 2020 (जहाँ 01 नवम्बर, 2020 से खरीद पूर्वी उ0प्र0)	जिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, जि0खा0वि0अ0, सं0ले0अ0, बांट माप अधिकारी, लीड बैंक अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, सहायक निबन्धक, सहकारिता, सहायक श्रमायुक्त, सं0खा0नि0, क्रय एजेन्सी, मण्डी सचिव, भा0खा0नि0, एन0आई0सी0
26	चावल मिलों का संग्रह डिपो से सम्बद्धीकरण	(i) 01 अक्टूबर, 2020 तक (पश्चिमी उ0प्र0) (ii) 01 नवम्बर, 2020 (पूर्वी उ0प्र0)	क्षेत्र प्रबन्धक, भा0खा0नि0/ सं0खा0नि0
27	क्रय केन्द्रों के भौतिक रूप से क्रियाशीलता का सत्यापन (क) पश्चिमी उ0प्र0 के जनपद (ख) पूर्वी उ0प्र0 के जनपद	30 सितम्बर, 2020 तक 31 अक्टूबर, 2020 तक	क्रय एजेन्सी/ जिलाधिकारी
28	धान क्रय प्रारम्भ की तिथि	पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर, 2020 से एवं पूर्वी उ0प्र0 में 01 नवम्बर, 2020 से कृषकों से धान क्रय प्रारम्भ होगा।	----

(अखण्ड प्रताप सिंह)
विशेष सचिव |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।